1	2	3
Engineering Division		
Vice President (CS)/ Vice President (P&E)	2250—2500	2
General Manager (Engg.)	1800—2250	4
Dy. General Manager (Engg.)	1500—2000	8
Sr. Manager (Engg.)	1300—1700	9
Manager (Engg.)	1100—1600	38
Asstt. Manager (Engg.)	700—1300	94
		155

Revision of scales of pay of the employees of I.T.D.C.

1832. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the number of the Indian Tourism Development Corporation employees who have been governed by the Central Government scales of pay since 1st January, 1973 category-wise and designation-wise; and

(b) whether the revision of their pay scales were referred to the MISRA COMMITTEE for its examination?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) A statement showing category-wise and designation-wise operated scales of pay in ITDC *w.e.f.* 1.1:1973 as per the recommendations of the Third Pay Commission is placed at Annexure. [*See* Appendix CCI, Annexure No. 115]. The total number of employees (executives and non-executives) on Central Govt. Scales of pay as on 31-3-88 was 2083.

(b) Yes, Sir.

Amount provided for cultural activities to the States

1833. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state the amount allotted to various States for the development of cultural activities during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): Nil, Sir.

Amount allocated for development of sporst to the States

1834. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: SHRIMAMTI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state the amount allocated to various States for different projects for development of sports; year-wise and State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS

AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): No funds are allocated on year-wise basis to the various States for the development of Sports. However, under the schemes of Assistance for Development of Sports infrastructure, funds are sanctioned for specific project proposals received from State Governments and Sports Bodies. Details of funds sanctioned to State Governments during the last three years are given in the attached Statement. [*See* Appendix CLI, Annexure No. 116).

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों से गुजरने के लिए वाहनों पर कर का लगाया जाना

1835. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों से गुजरने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों को कर देना पड़ता है, यदि हां, तो इसका औचित्य तथा कारण क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जाने वाले पुलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो किन आधारों पर और क्या इन पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण है, यदि हां, तो किस प्रकार का;

(ग) क्या उन पुलों पर से गुजरते समय जिनका निर्माण केन्द्रीय सरकार की सहायता से किया गया है, वाहनों को किसी प्रकार का कर देना पड़ता है, यदि हां, तो ऐसे पुलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उपर्युक्त कर के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई नीति निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के इस्तेमाल के लिए शुल्क नियम) 1978 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल, 1976 को अथवा उसके बाद बने और खोले गए स्थायी पुलों, जिनमें से प्रत्येक की लागत 25 लाख रु० से अधिक हो, का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को नियमों में निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना अपेक्षित होता है । डोसा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए किया गया है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें पुल भी शामिल हैं, के विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और इनके लिए उसके द्वारा ही धन दिया जाता है । अगस्त, 1988 की स्थिति के अनुसार जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर शुल्क लिया जाता है, उनकी सूची संलग्न है (नीचे देखिये) ।

(घ) राज्यसंघ राज्य सरकारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्देश सूचित किए जा चुके हैं :—

(क) शुल्क केवल सीमित अवधि के लिए ही लगाने होते हैं और उन्हें जैसे ही पुल की पूर्ण पूंजीगत लागत और उस पर पड़ने वाला ब्याज तथा उसके रख-रखाव और विशेष मरम्मतों पर होने वाला खर्च वसूल हो जाता है उस तारीख से उसकी वसूली बन्द कर दी जाती है।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में पुलों को शुल्क से छूट मिली हुई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एकत्र की गयी चुंगी की राशि को अधिक से अधिक 12 प्रतिशत की राशि के बराबर संचयन प्रभारों की प्रतिपूर्ति करनी होती है।